न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी (कलक्टर) झालावाड़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी डॉ. भारती दीक्षित, आई0ए0एस0

मि0न0 06 / अपील (आर0टी0आई)/2022

लोकेश नागर आ0 नन्दकिशोर, ग्राम पोस्ट हरिगढ तहसील खानपुर
बनाम
लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार खानपुर

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

—:: निर्णय ::— दिनाकः 22.02.2022

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अपीलान्ट को लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही कराई जाने पर प्रस्तुत की गई है।

अपीलान्ट ने अपील मेमों में निवेदन किया कि अपीलान्ट ने 1.(अ) ग्राम मालनवासा उप तहसील सारोलाकलां की आराजी ख0न0 1124,1124/1194,1125,915 जिसमें नामान्तरण सं0 1335 दिनांक 07.06.2013 या इस दौरान बेचान से विक्रेता खातेदार मुरारी,बृजमोहन पुत्र नाराण/नारायण का ही.10/64 आराजी किता 4 रकबा 18 वी. में से हि. 10/64 पर क्रेता गायत्री बाई पत्नी सत्यनारायण जाति निवासी मालोनी का नाम दर्ज हुआ था उक्त विक्रय की गई आराजी बावत निम्न सूचना – विक्रय की गई आराजी के विक्रय पत्रों /रजिस्ट्री में सलंग्न किये गये सम्पूर्ण दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां– उक्त आराजी के बेचान के समय कार्यालय में कार्यरत तहसीलदार पटवारी का नाम/पिता का नाम। (ब) ग्राम मालनवासा उप तहसील सारोलाकलां की आराजी ख0न0 1124,1124/1194,1125,915 में मृतक खातेदार नाराण/नारायण की हि.विरासत पर वारिसान बृजमोहन,मुरारी,नन्दा,देवकरण मांगीबाई व अन्य वारिसान द्वारा स्वीकृतकरवाए गए समस्त दस्तावेज की प्रमाणित प्रति। (स) उक्त आराजी पर मृतक खातेदार नाराण/नारायण के हिस्सा पर आवेदन करने वाले वारिसान का नाम व स्वीकृत हुए वारिसों के नाम/पता साथ ही नामान्तरण आदेश की प्रमाणित प्रति व स्वीकृकित आदेश देने वाले तहसीलदार/पटवारी का नाम/पिता का नाम चाहा गया था। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार तहसील खानपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नही कराने पर अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार खानपुर को नोटिस भिजवाया जाकर आवेदन पत्र पर विधिवत विनिश्चय करते हुए अपीलार्थी को सूचित कर प्रति पेश करने हेतु निर्देशित किया गया व इसी तरह अपीलान्ट को भी दिनांक 22.02.2022 सुनवाई की दिनांक निश्चित कर उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया। अपीलान्ट बावजूद सूचना उपस्थित नही होने पर उनका पक्ष नही सुना जा सका।

लोक सूचना अधिकारी प्रत्यर्थी तहसीलदार खानपुर की ओर से नायब तहसीलदार खानपुर को भिजवाया जाकर पत्रांकः 73–74/रीडर/22 दिनांक 21.02.2022 द्वारा अवगत कराया गया कि अपीलान्ट द्वारा चाहे गये दस्तावेजों के क्रम में कार्यालय के पत्रांक 14/रीडर/22 दिनांकः 10.01.2022 से पंजीबद्ध दस्जावेजों की पजीयन दिनांक सहित नियमानुसार प्रस्तुत करने के उपरान्त सूचना उपलब्ध कराने हेतु सूचित कर दिया गया था। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील से प्रतीत होता है कि अपीलान्ट सूचना निःशुल्क प्राप्त करना चाहता है। इसके संबन्ध में परिपत्र क्रमांक प.20(84)प्र.क्षु./सू.अ.प्र/2009 दिनांक 12.10.2018 से शुल्क लेने का प्रावधान है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना की सही जानकारी उपलब्ध करवाने तथा नियमानुसार फीस जमा करवाने के उपरान्त सुचना उपलब्ध करवायाजाना न्यायोचित

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत तहसीलदार खानपुर से रेकार्ड चाहा जाने पर उनके द्वारा कार्यालय के पत्रांक 14/रीडर/22 दिनांकः 10.01.2022 से पंजीबद्ध दस्जावेजों की पंजीयन दिनांक सहित नियमानुसार प्रस्तुत करने के उपरान्त सूचना उपलब्ध कराने हेतु सूचित कर दिया जाना साबित है। परिपत्र क्रमांक प.20(84)प्र.क्षु./सू.अ.प्र/2009 दिनांक 12.10.2018 से शुल्क लेने का प्रावधान है । इसी क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि चाहा गया रेकार्ड संन्धारण उपरान्त ही उपलब्ध कराया जा सकता है जो कि अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को वांछित सूचना उपलब्ध कराने के उपरान्त संधारित कर उपलब्ध कराया जा सकता है । प्रशासनिक सुधार विभाग सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ के अनुसार लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नो के उत्तर देना अपेक्षित नही है। सूचना का सृजन करना अधिनियम के कार्य क्षेत्र से बाहर हैं। इसी प्रकार माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग का प्रकरण संख्या सी0आई0सी0/ ए0टी0ए0/2006/000588 विभोर दिलिप बरला बनाम केन्द्रीय एक्साईज एंव कस्टमस् नासिक में दिनांक 30.11.2006 को पारित निर्णय अनुसार भी लोक सूचना अधिकारी का यह कार्य नही है कि वह जांच या अनुसंधान प्रारम्भ करें या प्रार्थी के प्रश्नो के सुझावात्मक उत्तर तैयार करें। पी0आई0ओ0 केवल उपलब्ध सूचना को प्रकट करने के लिये बाध्य है। ऐसी स्थिति में अपील के माध्यम से अपीलार्थी को कोई राहत प्रदान नही की जा सकती है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांकः 22.02.2022 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. भारती दीक्षित)
प्रथम अपील अधिकारी
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला कलक्टर झालावाड
झालावाड़
दिनांक 3.3.2022

क्रमांकः 105-07 /रीडर/22
प्रतिलिपीः– 01.प्रभारी अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम,कलक्ट्रेट,झालावाड
02.लोक सूचना अधिकारी नायब तहसीलदार सारोलाकला,तहसील,खानपुर
03.लोकेश नागर आ0 नन्दकिशोर, ग्राम पोस्ट हरिगढ तहसील खानपुर

प्रथम अपील अधिकारी
जिला कलक्टर झालावाड